इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] भोपाल, मंगलवार दिनांक 11 जनवरी 2011—पौष 21, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2011

क्र. 20-एफ-1-1-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 5 के खण्ड (22-क) तथा (33-क) और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 3 के खण्ड (10-ख) तथा (16-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियमों के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग की श्रेणी हेतु सारणी के कालम (3) में उल्लेखित अधिकतम आय सीमा विनिर्दिष्ट करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	प्रवर्ग (2)	आय की सीमा (3)
1.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रुपये 5000 प्रतिमास तक, प्रति परिवार
2.	निम्न आय वर्ग	रुपये 5001 से रुपये 10,000 प्रतिमास, प्रति परिवार

2. उपरोक्त आय की अधिकतम सीमा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू होगी तथा इस तारीख के पूर्व विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित हितग्राही पूर्व के मापदण्ड के अनुसार ऐसी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के पात्र होगें.

S. No. 20-F-1-1-2011-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Clauses (22-a) and (33-a) of Section 5 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Clauses (10-b) and (16-a) of Section 3 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the state Government, hereby, specifies the category

of the Economically weaker section and lower Income Group in column (2) of the table below, having the income ceilings mentioned in column (3) of the table, for the purpose of the said Acts.—

TABLE

S. No. (1)	Category (2)	Income Ceiling (3)
1.	Economically Weaker Section	Up to Rs. 5,000 per month per household
2.	Lower Income Group	Rs. 5,001-10,000 per month per household

2. The above income ceiling shall be applicable from the date of publication of this Notification and the beneficiaries selected under various schemes prior to this date will be eligible to get benefit of such schemes as per earlier criteria.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.